रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 1990/भाद्र 15, 1912

No. 379] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 1990/BHADRA 15, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1990

सा. का. नि. 759(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कंडला पोर्ट (पायलटों का प्राधिकरण) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर.—12012/3/90—पी. ई. 1]

एस. एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. ये विनियम कंडला पोर्ट (पायलटों का प्राधिकरण) संशोधन विनियम, 1990 कहे जायेंगे।

2. विनियम 6 के विद्यमान उप विनियम 1(ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—
"जब तक बोर्ड अन्यथा निश्चय नहीं कर लेता, उसे कम से कम तीन माह की अवधि के लिए अथवा उस समय तक जब तक वह पायलट कार्य के कम से कम 150 काम पूरे करता है, इनमें से जो भी बाद में हो, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के लिए काम करना है। यदि हार्बर मास्टर द्वारा सिफारिश की जाती है तो उप संरक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए प्रशिक्षण की समाप्ति पर परिवीक्षाधीन पायलट जहाजों के लिए, अपनी अर्हताओं के अनुसार परीक्षा देने हेतु आवेदन कर सकता है।"

3. निम्नलिखित को विनियम 6 के उप विनियम (3) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाए:—
"ऐसा उम्मीदवार जिसे पायलट के रूप में नियुक्ति हेतु चुना गया है, उसे इन विनियमों के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में 2 वर्षों में 2 वर्षों की अवधि के परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक कंडला पोर्ट ट्रस्ट की सेवा करने से संबंधित एक बंधपत्र निष्पादित करना होगा।"

पायलटों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधपत्र

मैं एतद्द्वारा सभी को बताता हूं कि मैं.................................जिला.................. के...का रहने वाला वर्तमान में कंडला पोर्ट में परिवीक्षाधीन पायलट के रूप में नियोजित हूं और कंडला पोर्ट (पायलटों का प्राधिकरण) विनियम, 1964 के विनियम 6(3) के अनुसार मैं स्वयं को और मेरे उत्तराधिकारियों, कार्यपालकों और प्रशासकों को मुझे प्रशिक्षण दिए जाने हेतु बोर्ड की मांग पर रु. 15,000] (रुपये पंद्रह हजार मात्र) के संदाय हेतु एतद्द्वारा आबद्ध करता हूं।

और यत: बोर्ड के बेहतर बचाव के लिए मै नीचे लिखी गई शर्तों के साथ यह बंधपत्र निष्पादित करने का सहमत हुआ हूं।

अब ऊपर लिखी बाध्यता की यह शर्त है कि कंडला पोर्ट ट्रस्ट में 2 वर्षों के मेरे परिवीक्षा काल की समाप्ति के बाद वहां कम से कम 5 वर्षों की सेवा करने से पूर्व मेरे त्याग पत्र देने अथवा नौकरी छोड़ देने अथवा उक्त 5 वर्षों की विहित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के दुराचार के कारण मुझे सेवा से निकाल देने अथवा पदच्युति की स्थिति में, मैं स्वयं ही तत्काल अथवा बोर्ड की मांग पर जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मेरे प्रशिक्षण पर खर्च की गई रु. 15,000- (रुपये पंद्रह हजार मात्र) की उक्त राशि का तुरन्त ही उसे संदाय करूंगा।

और इस प्रकार के भुगतान के बाद ऊपर लिखित बाध्यता प्रभावहीन तथा शून्य हो जाएगी अन्यथा यह पूर्वोक्त ढंग से पूर्णतय प्रवृत्त रहेगी।

एक हजार नौ सौ ....के माह ....के..........दिन को निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में:

(1) ....

(2) ....

..................................द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रदत्त।

बोर्ड की ओर से उसके
लिए स्वीकृत

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 1990

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port (Authorisation of Pilots) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. PR-12012|3|90-PE.I]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby make the following Regulations, namely :—

1. These regulations may be called the Kandla Port (Authorisation of Pilots) Amendment Regulations, 1990.

2. The existing sub-regulation 1(c) of Regulation 6 shall be substituted as under :—

"Unless the Board otherwise determines, serve a period of probationary training of not less than three months or till such time he attends a minimum 150 acts of Pilotage, whichever is later. On completion of the training, the probationer may, if recommended by the Harbour Master and subject to the approval of the Deputy Conservator, apply to be examined as to his qualifications to pilot ships".

3. The following shall be inserted as sub-regulation (3) of Regulation 6 :—

"The candidate selected for appointment as Pilot shall execute a bond to serve Kandla Port Trust for a minimum period of 5 years on completion of the probation period of 2 years as per prescribed format appended to these regulations."

Foot Note :—

G.S.R. No. of the Principal Regulation —306

APPENDIX—"A"

BOND TO BE EXECUTED BY PILOTS

Know all men by this presents that I———————————resident of ——————— in the district of——————at present employed as a probationary Pilot in the Port of Kandla do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to the Board on demand a sum of Rs. 15000|- (Rupees fifteen thousand only) on account of my having been placed for training as per Regulation 6(3) of Kandla Port (Authorisation of Pilots) Regulations, 1964.

And whereas for the better protection of the Board I have agreed to execute this bond with such condition as hereunder is written.

Now the condition of the above written obligation is such that in the event of my resignation or leaving service before serving Kandla Port Trust for a minimum period of 5 years on completion of my probationary period of 2 years or in the event of my removal or dismissal from service for any kind of misconduct during the prescribed period of the said 5 years, I shall forthwith pay to the Board or as may be directed by the Board on demand, the said sum of Rs. 15000|- (Rupees fifteen thousand only) on account of my having been placed on training as aforesaid.

And upon my making such payment, the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise, it shall be and remain in full force and virtue.

Dated this ————day of ———— one thousand nine hundred ————.

Signed and delivered by———————— in the presence of witnesses

(1)————

(2)————

Accepted for and on behalf of the Board.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990